न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 928/2025

अनवान : –

1. इन्द्रा पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. मैना पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– **वादीयान**

बनाम्

1. श्योपत पुत्र पुराराम जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. पारी पत्नी श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. पीलूराम पुत्र श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. पवन पुत्र श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. दुर्गा पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर/खुंईया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/6/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 131/118 के ख0न0 731/186 की कुल 11.1756 हैक्ट भूमि में से 111/442 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के एवं 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के व खाता स0 218/200 की कुल 14.8005 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादीयान की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 ता 2 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 ता 2 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीयान व प्रतिवादी स0 3 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 ता 2 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 उक्त वाद भूमि के के खातेदार काश्तकार है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त भूमि वादीयान की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 ता 2 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 ता 2 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीयान व प्रतिवादी स0 3 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 ता 2 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 उक्त वाद भूमि के के खातेदार काश्तकार है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादीयान का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीयान ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 131/118 के ख0न0 731/186 की कुल 11.1756 हैक्ट भूमि में से 111/442 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के एवं 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के व खाता स0 218/200 की कुल 14.8005 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीयान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 218/200 के ख0न0 190 व 407 की भूमि पैतृक भूमि होना साबित है उक्त भूमि पूर्व में वादीयान के पूर्वज पुरारा के नाम दर्ज रही है जबकि खाता स0 131/118 के ख0न0 731/186 की कुल 11.1756 हैक्ट भूमि पैतृक है बाबत अधिवक्ता वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साबित हो की खाता स0 131 की भूमि पैतृक हो अत वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीयान आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 218/200 की कुल 14.8005 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीयान व प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/6/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 928/2025

अनवान : –

1. इन्द्रा पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. मैना पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– **वादीयान**

बनाम्

1. श्योपत पुत्र पुराराम जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. पारी पत्नी श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. पीलूराम पुत्र श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. पवन पुत्र श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. दुर्गा पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री श्योपत जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर/खुंईया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 928 सन 2025 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीयान श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयानन साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादीयान आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 218/200 की कुल 14.8005 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीयान व प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर